(23)

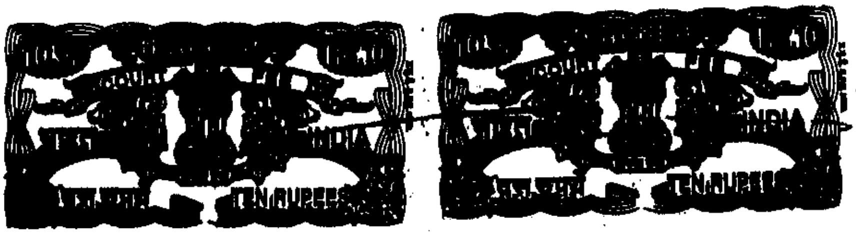

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर केम्प - भोपाल

प्रकरण क्रमांक ....

PBR/निगरानी/राजगढ़/भू.रा./2017/3333

श्री ओपी ... द्वारा ... को केम्प भोपाल में प्रस्तुत किया

हरिओम आत्मज कन्हैयालाल
आयु- वयस्क निवासी ग्राम-
पीपल्या देव, तहसील- पचौर
जिला- राजगढ़ (म0प्र0) ------- आवेदक

--- विरूद्ध ----

1- तुलसीराम आत्मज प्रहलादसिंह आयु-वयस्क
2- देवकरण आत्मज रमेश आयु- वयस्क
3- बहादुर आत्मज प्रभुराम आयु-वयस्क
4- अमृतलाल आत्मज गंगाधर आयु-वयस्क
5- प्रहलादसिंह आत्मज गंगाधर आयु-वयस्क
6- बाबूलाल आत्मज प्रहलादसिंह आयु-वयस्क
7- रामसिंह आत्मज रामरतन आयु-वयस्क
8- देवकरण आत्मज रामसिंह आयु- वयस्क
9- मदनलाल आत्मज रामचंद आयु- वयस्क
समस्त निवासीगण ग्राम- पीपल्या देव
तहसील- पचौर जिला-राजगढ़ (म0प्र0)

-------- अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा-50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959

महोदय,

आवेदक द्वारा श्रीमान् तहसीलदार पचौर के प्रकरण क्रमांक 10/अ-13/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 17/7/2017 से दुःखित एवम् असंतुष्ट होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/होशंगाबाद/2017/3333 जिला राजगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4—10—2017	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 17—7—17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार द्वारा विधिवत् स्थल निरीक्षण किया जाकर अंतरिम रूप से रास्ता खुलवाये जाने का आदेश दिया गया है जिसमें प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । इसके अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा प्रकरण का अंतिम निराकरण करना है जहाँ आवेदक को पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। (मनोज गोयल) अध्यक्ष	